

# कार्यालय : सदस्य सचिव, झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राँची ।

## अंकेक्षण कार्य हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest ) का आमंत्रण

1. झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा सृजित एवं सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1861 के अंतर्गत पंजीकृत, का अंकेक्षण कार्य किसी अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट (चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1849 में यथा परिभाषित) से कराना है।
2. जो अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट इस कार्य को करना चाहते हैं, वे अपना प्रस्ताव फीस एवं करों (fee + Taxes) के साथ दिनांक 08.06.2016 को 3.00 बजे अपराह्न तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दे सकते हैं। प्रस्ताव के साथ पूर्व कार्य का अनुभव, अपने फर्म का विवरण एवं **Comptroller & Auditor General of India** के यहाँ **Empanelment** /पंजीकरण की स्थिति की सूचना देनी आवश्यक है। सभी प्रस्तावों को उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न में समिति एवं प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।
3. चार्टर्ड एकाउन्टेंट को लेखा अंकेक्षण कार्य, **Balance Sheet** तैयार करना, आयकर विभाग में वार्षिक रिटर्न फाईल करना, कार्यालय का त्रैमासिक/वार्षिक टी. डी. एस. रिटर्न फाईल करना तथा आयकर विभाग के नोटिस से संबंधित निराकरण कार्रवाई करनी होगी।
4. वैसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट अर्हता प्राप्त माने जायेंगे जिनको कम से कम तीन वर्षों का भारत सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम से संबंधित **Agency** में लेखा कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा। उक्त आषय का प्रमाण-पत्र संबंधित **Agency** द्वारा जारी किया होना आवश्यक है।
5. चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अपेक्षा की जाती है कि वे तर्कसंगत फीस एवं कर के साथ अपना प्रस्ताव समर्पित करेंगे। फीस एवं कर के अतिरिक्त अन्य राशि/भत्ता देय नहीं होगा।
6. चार्टर्ड एकाउन्टेंट का अनुमोदन इस प्राधिकरण के कार्यकारिणी समिति (**Executive Committee**) द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में यह चुनाव तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17- से 2017-18 के लेखा तक) के कार्यों के लिए किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक ही दर अर्पित की जाय। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत दर पर 10% वृद्धि अनुमान्य होगी।
7. प्राप्त किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

Sd/-

सदस्य सचिव,  
झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण  
राँची ।

Email : [jharkhandzooauthority@gmail.com](mailto:jharkhandzooauthority@gmail.com)

Telephone : 09470590742, 09006216090